कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

//ज्ञापन//

क्रमांक–Q-17/विविध/2020 विदिशा दिनांक 14.04.2020

प्रति,

01–विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी/पीए एक्ट विदिशा
02–समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना विदिशा
03–प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड विदिशा
04–अध्यक्ष, अभिभाषक संघ विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी
05–समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय जिला विदिशा म0प्र0.

विषयः दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक अकार्य दिवस घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्र0 क्यू–6 दिनांक 14.04.2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा के पत्र पृ0क्र0 क्यू–1/विविध/2020 दि0 22.03.2020, क्यू–4/विविध/2020 दि0 25.03.2020, आदेश क्र0 137 दिनांक 22.03.2020, परिपत्र क्र0 क्यू दिनांक 29.03.2020, ज्ञापन क्र0 क्यू–6, दिनांक 08.04.2020, क्यू–8 दिनांक 12.04.2020, विविध आदेश क्यू–11 दिनांक 13.04.2020.

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित पत्र क्र0 क्यू–6 दिनांक 14.04.2020 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा महामारी कोविड–19/नोवेल कोरोना वायरस के कारण दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक (सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित करते हुये) की अवधि को लॉकडाउन के कारण अकार्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है, के अनुक्रम में, उक्त अवधि में जिला विदिशा स्थित समस्त न्यायालय बंद रहेंगे।

समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त दिवसों में अपने–अपने मुख्यालय में अपने निवास स्थान पर ही रहेंगे, अन्यत्र आवागमन नहीं करेंगे, साथ ही लॉक डाउन अवधि दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक इस कार्यालय द्वारा **सामाजिक दूरस्थतः (सोशल डिस्टेसिंग) तथा अन्य संदर्भ में** जारी संपूर्ण आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे, अन्यथा स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेशों, पत्रों एवं परिपत्रों की छायाप्रतियां

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

पृष्ठां0क्रं0—Q-18 / विविध / 2020 विदिशा, दिनांक 14.04.2020

प्रतिलिपि—

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी

03. श्री राजेंद्र पाल बतरा, प्रशासनिक अधिकारी, श्री योगेश राठौर,एस.ओ. श्री दयाल सिंह ठाकुर सिस्टम असिस्टेंट, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा,

04. पुलिस अधीक्षक, विदिशा,

05. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा / लटेरी

06. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sd/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

विदिशा

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-6 Jabalpur, dated 14th April, 2020

Sub.: Extension of operation of Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 due to extension of Nationwide lockdown announced on 14/04/2020.

Ref.: Order No.Q-5 dated 25/03/2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed herewith).

In view of the public announcement made by the Hon'ble Prime Minister of the country on 24/03/2020 imposing a complete lock-down throughout the country, Hon'ble the Chief Justice was pleased to issue a Circular No.Q-5 Jabalpur dated 25/03/2020 pertaining to the working of Hon'ble High Court as well as Subordinate Courts in the State, which was communicated to all concerned.

Now as per the announcement made by Hon'ble the Prime Minister on 14/04/2020, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct that the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 03/05/2020 for High Court Bench at Indore and all the Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P., however, the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 20/04/2020 for High Court Principal Seat Jabalpur and its Bench at Gwalior.

Encl.:
Circular No.Q-5 dated 25/03/2020

BY ORDER OF
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

14/4/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

<u>Copy by e-mail to</u>:

1. Principal Secretary, Law & Legislative Department, State Government of M.P., Bhopal.
2. Registrar-cum-P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice.
3. Secretary to Hon'ble Judges.
4. All District & Sessions Judges and All Principal Judges of Family Courts in State of M.P., with request to further circulate this circular among District Bar Associations, local administration, other Judicial Officers, staff and other stakeholders.
5. Principal Registrar (Judicial), High Court Principal Seat Jabalpur, Principal Registrars, Benches at Gwalior & Indore.
6. Chairman, M.P. State Bar Council, Jabalpur.
7. Advocate General, State of Madhya Pradesh, Jabalpur and Assistant Solicitor General at Jabalpur.
8. President/Secretary, M.P. High Court Bar Association / High Court Advocates Bar Association/ Senior Advocates Council, Jabalpur, Indore & Gwalior.

14/4/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

//ज्ञापन//

क्रमांक— 9 /विविध/2020 विदिशा दि. 22.03.2020

प्रति,

01—विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी/पीए एक्ट विदिशा
02—समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना विदिशा
03—अध्यक्ष, अभिभाषक संघ विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी
04—समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय जिला विदिशा म0प्र0.

विषयः दिनांक 23.03.2020 एवं 24.03.2020 को अकार्य दिवस घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः 1.माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क0क्यू—2 दिनांक 22.03.2020 के पालन में।

2.कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा के आदेश क0 एस0डब्ल्यू/4149 दिनांक 22.03.2020 के अनुक्रम में।

——00——

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि महामारी कोविड—19/नोवेल कोरोना वायरस के कारण संदर्भित पत्र क्र.02 के द्वारा घोषित किये गये लॉकडाउन की स्थिति में दिनांक 23 एवं 24.03.2020 (सोमवार एवं मंगलवार) को अकार्य दिवस के रूप में घोषित किया जाता है।

समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त दिवसों में अपने—अपने मुख्यालय में अपने निवास स्थान पर ही रहेंगे, अन्यत्र गमन नहीं करेंगे।

विशेष अनुग्रहः——

01. सभी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी को सूचित किया जाता है कि वे अपने व अपने परिजन के स्वास्थ्य के बारे प्रत्येक दिन सुबह और शाम व्हाटसअप ग्रुप District Judiciary Vidisha पर अपनी कुशलता बाबत सूचना ग्रुप के माध्यम से प्रदत्त करेंगे, यदि किसी को बुखार, सिरदर्द, खांसी या गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है तो, वह तुरन्त ग्रुप के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित करेंगे ताकि इस संबंध में आवश्यक चिकित्सीय सुविधा

सुनिश्चित करायी जा सके तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को भी सूचना दी जा सके।

02. सभी न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिजन से एक बार पुनः आग्रह किया जाता है कि वे घर में ही रहें क्योंकि दुश्मन अदृश्य है और आप यदि अपने घर में रहेंगे तो इस समय राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ी सेवा होगी।

03. सभी न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उनके परिजन से विशेष आगृह किया जाता है कि वे सार्वजनिक स्थानों मे न जायें घर से बाहर न निकलें और जनसामान्य से मुलाकात न करें, ताकि संकट की इस घड़ी में जिससे संपूर्ण राष्ट्र गुजर रहा है, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग निश्चित रूप से सबको संबल प्रदान करेंगा, चाहे वह राष्ट्र हो, चाहे समाज।

विशेष निर्देशः——

01. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि बिना अनुमति एवं बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

02. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों जिनकी रिमाण्ड में ड्यूटी लगी है, को छोड़कर शेष न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आपात स्थिति की दशा में, उनको कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये सूचित किया जा सकता है और वे सूचना प्राप्ति के आधे घण्टे के अंदर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

पृष्ठां0क्र0— 8-1 / विविध / 2020 विदिशा, दिनांक 22.03.2020

प्रतिलिपि—

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा,
04. पुलिस अधीक्षक, विदिशा,
05. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा/लटेरी
06. कार्यालय जनसंपर्क विदिशा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

//आदेश//

कमांक–138/विविध/2020 विदिशा दि. 25.03.2020

मैं, श्यामाचरण उपाध्याय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्र0 क्यू–5 दिनांक 25.03.2020 के पालन में महामारी नोवेल कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण संपूर्ण जिला विदिशा में दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक (सार्वजनिक अवकाश सहित) संपूर्ण भारत में लॉक डाउन के निर्देश के अनुक्रम में उपरोक्त संपूर्ण अवधि अकार्य दिवस होने के कारण जिला स्थापना विदिशा एवं तहसील न्यायालय गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी के समस्त न्यायालय बंद रहेंगे।

इन अकार्य दिवसों की अवधि के दौरान जिस प्रकार से रिमांड ड्यूटी के लिये मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं वह कार्य उक्त समय में करते रहेंगे एवं उक्त अवधि में जमानत आवेदन पत्रों एवं अन्य आवश्यक कार्य जैसे अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगणों की ड्यूटी उनके स्टाफ सहित लगायी जाती है। उक्त कार्य जेएमएफसी दोपहर पश्चात् 03:00बजे से 04:00बजे एवं अपर सत्र न्यायाधीश दोपहर पश्चात् समय 04:00बजे से 5:00बजे के बीच संपादित करेंगे।

1.जिला न्यायालय विदिशा:—

क.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	26 मार्च 2020	श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी/पीए एक्ट	श्री कृष्णा अग्रवाल जेएमफसी
2	27 मार्च 2020	श्री महेंद्र सिंह तोमर Iएएसजे	डॉ0रविकांत सोलंकी सीजेएम
3	28 मार्च 2020	श्री प्रशांत कुमार IIIएएसजे	सुश्री आरती आर्य जेएमएफसी
4	29 मार्च 2020	सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी IIएएसजे	श्रीमती बार्बी जुनैजा जेएमएफसी
5	30 मार्च 2020	श्री आत्माराम टांक, V ASJ	श्री कृष्णा अग्रवाल जेएमफसी
6	31 मार्च 2020	श्री दिनेश कुमार नोटिया IV ASJ	सुश्री आरती आर्य जेएमएफसी
7	01 अप्रैल 2020	श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी/पीए एक्ट	श्रीमती बार्बी जुनैजा जेएमएफसी
8	02 अप्रैल 2020	श्री महेंद्र सिंह तोमर Iएएसजे	डॉ0रविकांत सोलंकी सीजेएम
9	03 अप्रैल 2020	श्री प्रशांत कुमार IIIएएसजे	श्रीमती बार्बी जुनैजा जेएमफसी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

10	04 अप्रैल 2020	सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी।।एएसजे	श्री कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी
11	05 अप्रैल 2020	श्री आत्माराम टांक, V ASJ	सुश्री आरती आर्य जेएमएफसी
12	06 अप्रैल 2020	श्री दिनेश कुमार नोटिया IV ASJ	डॉ0रविकांत सोलंकी सीजेएम
13	07 अप्रैल 2020	श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी/पीए एक्ट	श्री कृष्णा अग्रवाल जेएमफसी
14	08 अप्रैल 2020	श्री महेंद्र सिंह तोमर।एएसजे	श्रीमती बार्बी जुनैजा जेएमएफसी
15	09 अप्रैल 2020	श्री प्रशांत कुमार ।।एएसजे	सुश्री आरती आर्य जेएमएफसी
16	10 अप्रैल 2020	सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी।।एएसजे	डॉ0रविकांत सोलंकी सीजेएम
17	11 अप्रैल 2020	श्री आत्माराम टांक, V ASJ	श्री कृष्णा अग्रवाल जेएमफसी
18	12 अप्रैल 2020	श्री दिनेश कुमार नोटिया IV ASJ	श्रीमती बार्बी जुनैजा जेएमएफसी
19	13 अप्रैल 2020	श्री आत्माराम टांक, पंचम एएसजे	सुश्री आरती आर्य जेएमएफसी
20	14 अप्रैल 2020	सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, ।। एएसजे	श्री कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी

2. किशोर न्यायबोर्ड विदिशा में समय दोपहर पश्चात् 03:00बजे से 04:00बजे तक

दि 26.03.2020 से 14.04.2020 तक	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी

3. तहसील न्यायालय गंजबासौदा :—

क्र.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	26 मार्च 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जेएमएफसी
2	27 मार्च 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी
3	28 मार्च 2020	श्री सतीशचन्द्र मालवीय,।।।एएसजे	श्री राकेश शर्मा जेएमएफसी
4	29 मार्च 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्री मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी
5	30 मार्च 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जेएमएफसी
6	31 मार्च 2020	श्री सतीशचन्द्र मालवीय,।।।एएसजे	श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी
7	01 अप्रैल 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्री राकेश शर्मा जेएमएफसी
8	02 अप्रैल 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्री मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी
9	03 अप्रैल 2020	श्री सतीशचन्द्र मालवीय,।।।एएसजे	श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जेएमएफसी
10	04 अप्रैल 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी
11	05 अप्रैल 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्री राकेश शर्मा जेएमएफसी
12	06 अप्रैल 2020	श्री सतीशचन्द्र मालवीय,।।।एएसजे	श्री मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी
13	07 अप्रैल 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जेएमएफसी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

14	08 अप्रैल 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी
15	09 अप्रैल 2020	श्री सतीशचन्द्र मालवीय,।।।एएसजे	श्री राकेश शर्मा जेएमएफसी
16	10 अप्रैल 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्री मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी
17	11 अप्रैल 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जेएमएफसी
18	12 अप्रैल 2020	श्री सतीशचन्द्र मालवीय,।।।एएसजे	श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी
19	13 अप्रैल 2020	श्री राजेश अग्रवाल । एएसजे	श्री राकेश शर्मा जेएमएफसी
20	14 अप्रैल 2020	श्री आदित्य रावत ।।–एएसजे	श्री मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी

4. तहसील न्यायालय सिरोंज :—

क्र.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	26 मार्च 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
2	27 मार्च 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
3	28 मार्च 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
4	29 मार्च 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
5	30 मार्च 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
6	31 मार्च 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
7	01 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
8	02 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
9	03 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
10	04 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
11	05 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
12	06 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
13	07 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
14	08 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
15	09 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
16	10 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
17	11 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
18	12 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
19	13 अप्रैल 2020	श्री निसार अहमद, ।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी
20	14 अप्रैल 2020	श्री अमजद अली, ।।–एएसजे	श्री हेमन्त सिंह जेएमएफसी

5. तहसील न्यायालय कुरवाई :—

क्र.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	26 मार्च 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
2	27 मार्च 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
3	28 मार्च 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
4	29 मार्च 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
5	30 मार्च 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
6	31 मार्च 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
7	01 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
8	02 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
9	03 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
10	04 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
11	05 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
12	06 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
13	07 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
14	08 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
15	09 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
16	10 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
17	11 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
18	12 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी
19	13 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
20	14 अप्रैल 2020	लिंक कोर्ट	श्रीमती निधि जैन, जेएमएफसी

6. तहसील न्यायालय लटेरी :—

क्र.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	26 मार्च 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
2	27 मार्च 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
3	28 मार्च 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
4	29 मार्च 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
5	30 मार्च 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
6	31 मार्च 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

7	01 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
8	02 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
9	03 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
10	04 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
11	05 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
12	06 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
13	07 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
14	08 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
15	09 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
16	10 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
17	11 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
18	12 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
19	13 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी
20	14 अप्रैल 2020	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे	श्री देवेंद्र सोलंकी जेएमएफसी

संलग्न— न्यायिक अधिकारियों
के व्हॉटसअप मो0नंबर की सूची

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

विदिशा, दिनांक 25.03.2020

पृष्ठां0क्र0— Q-3 / विविध / 2020
प्रतिलिपि—

01. श्री . . . .
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
02. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा,
04. पुलिस अधीक्षक, विदिशा,
05. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा / लटेरी
06. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा
07. अध्यक्ष अभिभाषक संघ विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ,
08. प्रिंट मीडिया / न्यूज मीडिया प्रभारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं सूचना प्रसारित किये जाने हेतु।

Sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

//ज्ञापन//

क्रमांक Q-4/विविध/2020 विदिशा दि. 25.03.2020

प्रति,

01--विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी/पीए एक्ट विदिशा
02--समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना विदिशा
03--प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड विदिशा
04--अध्यक्ष, अभिभाषक संघ विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी
05--समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय जिला विदिशा म0प्र0.

विषयः दिनांक 26.03.2020 एवं 14.04.2020 तक अकार्य दिवस घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्र0 क्यू--5 दिनांक 25.03.2020 के पालन में।

----00----

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि महामारी कोविड--19/नोवेल कोरोना वायरस के कारण घोषित किये गये लॉकडाउन की स्थिति में दिनांक 26.03.2020 से दि 14.04.2020 तक (सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित करते हुये) अकार्य दिवसों के रूप में घोषित किया जाता है।

समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त दिवसों में अपने--अपने मुख्यालय में अपने निवास स्थान पर ही रहेंगे, अन्यत्र गमन नहीं करेंगे।

विशेष निर्देशः---

01. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि **बिना अनुमति एवं बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।**

02. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों जिनकी रिमाण्ड में ड्यूटी लगी है, को छोड़कर शेष न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आपात स्थिति की दशा में, उनको कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये सूचित किया जा सकता है और वे सूचना प्राप्ति के आधे घण्टे के अंदर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होंगे। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवधि में अपने मोबाईल फोन चालू हालत में रखेंगे। यदि कोई न्यायिक अधिकारी या

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

कर्मचारी उक्त निर्देशों का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध **कठोर कार्यवाही अग्रसर की जावेगी।**

03. सभी संबंधित पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 14.04.2020 तक अधिवक्तागण एवं पक्षकारों का न्यायालय में प्रवेश अत्यंत आपात स्थितियों के अतिरिक्त वर्जित है। न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण से सीधा संपर्क स्थापित नहीं किया जावे। संपर्क केवल और केवल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया जावे।

04. आपात स्थिति होने पर या ऐसी अपूर्णीय क्षति होने की दशा में वीडियो कांफ्रेसिंग एवं व्हॉटसअप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दावे, आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जावेंगे और बहस भी इसी माध्यम से सुनवाई की जावेगी, जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों का सीधा संपर्क न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य स्थापित न हो सके।

05. पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जावे कि संबंधित केस डायरी स्कैन कर न्यायालय की ई–मेल आईडी पर रिमांड अवधि के पूर्व भेजा जाना सुनिश्चित करें। यदि किन्हीं कारणों से केस डायरी मेल आई डी पर प्राप्त नहीं हो सके तो संबंधित न्यायालय के रीडर/प्रस्तुतकार दस्ताने(ग्लब्स) पहनकर ही उपरोक्त केस डायरी प्राप्त करेंगे और संबंधित न्यायिक अधिकारी भी दस्ताने(ग्लब्स) पहनकर ही केस डायरी का अवलोकन व कार्य करेंगे।

06. आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति (जिसमें अधिवक्ता भी सम्मिलित है) न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य के लिये श्री राजेंद्र पाल बतरा, प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय विदिशा को संपर्क कर सकते हैं, श्री बतरा को उक्त कार्य के लिये अधिकृत किया जाता है। श्री बतरा का मोबाईल नंबर 9425335553 व 9131942006 जिला न्यायालय विदिशा की अधिकृत ई मेल आईडी– dcourtvid-mp@nic.in & rajendrapalbatra51@gmail.com है।

07. उपरोक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे अन्यथा दशा में शिथिलता को गंभीरता से लिया जाकर, कार्यवाही की जावेगी।

08. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जावे।

09. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिये जिला न्यायालय विदिशा में सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ।।एडीजे विदिशा की न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध होने से, उक्त न्यायालय कक्ष को सुनवाई हेतु निर्धारित किया जाता है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं जेएमएफसी इसी न्यायालय में अपने–अपने समय पर बैठकर कार्य संपादित करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

10. अत्यंत आवश्यक होने पर अधिवक्तागण एवं पक्षकारान् जिला न्यायालय विदिशा परिसर में स्थित बाल साक्षी रूम में उपस्थित होकर संस्थापित वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं।

11. तहसील न्यायालयों, जिनमें वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां व्हाटसअप/स्काईप/वीडियाएप/ई-मेल के माध्यम से जमानत आवेदन पत्र एवं दावे प्रस्तुत किए जा सकेंगे। साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग/वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की जा सकेगी। तहसील न्यायालय-कुरवाई एवं लटेरी में आईटी असिसटेंट की पदस्थापना नहीं होने से, श्री आकाश दुबे सहा0ग्रेड-3 कुरवाई न्यायालय में एवं कु0रितिका ठाकुर सहा0ग्रेड-3 लटेरी न्यायालय में उपरोक्त कार्य संपादित करेंगे।

12. तहसील न्यायालयों के अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि वह अपने घर से ही व्हॉटसअप वीडियो कॉल के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं और उक्त माध्यम से ही आवेदन भी प्रेषित कर सकते हैं। इस कार्य के लिये तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के रिमाण्ड ड्यूटी के समय मोबाईल में व्हॉटसअप आवश्यक रूप से चालू रखेंगे।

13. श्री राजेंद्र पाल बतरा, प्रशासनिक अधिकारी विदिशा को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला स्थापना विदिशा एवं तहसील न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल नंबर एवं ई मेल आईडी संकलित करें। इसके साथ ही श्री योगेश राठौर सिस्टम ऑफिसर विदिशा को निर्देशित किया जाता है कि वह दैनिक रूप से माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त ई मेल के संबंध में अविलंब जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित करेंगे।

14. जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने न्यायालय के दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में दिनांक 14.04.2020 के पश्चात् की तिथि नियत कर, सूची न्यायालय परिसर के बाहर स्थित सूचना पटल एवं अभिभाषक संघ के सूचना पटल पर आवश्यक रूप से चस्पा करावें।

15. यदि आदेश में वर्णित में न्यायिक अधिकारी अपरिहार्य कारणों से अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सके तो उनके स्थान पर कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उक्त न्यायिक अधिकारी के प्रभारी अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य संपादन किया जावेगा और इसकी सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवश्यक रूप से देंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

पृष्ठां०क्रं०— 8-5 / विविध / 2020 विदिशा, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपि—

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी

03. श्री योगेश राठौर, सिस्टम ऑफीसर / श्री दयाल सिंह ठाकुर एस०ए. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा,

04. पुलिस अधीक्षक, विदिशा,

05. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा / लटेरी

06. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

ई-मेल ...

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा(म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक : 9/विविध/20 विदिशा, दिनांक 29/03/2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक क्यू–5 दिनांक 25.03.2020 एवं परिपत्र दिनांक 22.03.2020 एवं 25.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये दिनांक 14.04.2020 तक जिला न्यायालयों में अकार्य दिवस घोषित करते हुये न्यायालयों को बंद रखे जाने तथा किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ यह भी दिशा निर्देश दिये गये हैं कि सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण अपनी पदस्थापना स्थल पर अपने घर में ही उपस्थित रहें, जिनकी समय–समय पर आवश्यक जांच कर पालन प्रतिवेदन भी रजिस्ट्री को भेजे जाने का निर्देश दिया गया है।

रजिस्ट्री द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश के पालन हेतु पूर्व में कार्यालयीन आदेश/परिपत्र जारी किये गये हैं लेकिन कतिपय कर्मचारी बिना किसी अनुमति के मुख्यालय छोड़कर चले गये हैं तथा वे अपने पदस्थापना स्थल पर/घर पर उपस्थित नहीं हैं जो कि दिशा निर्देशों का घोर उल्लघंन है।

अतः जिला न्यायालय स्थापना विदिशा के साथ–साथ तहसील न्यायालय गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई/लटेरी में पदस्थ सभी न्यायिक कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापना स्थल पर अपने घर पर उपस्थित रहें तथा अपना मोबाईल चालू हालत में रखें जिससे किसी भी समय उनसे संपर्क किया जा सके। यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी कर्मचारीगण अपना मोबाईल नंबर एवं वाट्स ऐप नंबर श्री राजेन्द्र पाल बत्रा, प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय विदिशा को प्रेषित करें। **श्री राजेन्द्र पाल बत्रा का मोबाईल एवं वाट्स ऐप नंबर 9425335553 एवं अन्य मोबाईल नंबर 9131942006 है।**

यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिये गये पते पर संपर्क किये जाने पर कोई भी कर्मचारी के उपलब्ध न पाये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रजिस्ट्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(श्यामाचरण उपाध्याय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा, म0प्र0 29/3/2020

प्रति,

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना विदिशा।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा।
3. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, विदिशा

को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि की समय–समय पर की जाने वाले कार्यवाही से लिखित में अवगत कराया जाये।

(श्यामाचरण उपाध्याय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा, म0प्र0 /2020

<u>कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा(म0प्र0)</u>

<u>//परिपत्र//</u>

क्रमांक :9 /विविध/20 विदिशा, दिनांक 29/03/2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 एवं परिपत्र दिनांक 22.03.2020 एवं 25.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये दिनांक 14.04.2020 तक जिला न्यायालयों में अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

यह विदित हुआ है कि उपरोक्त अकार्य दिवस के दौरान कतिपय कर्मचारीगण बिना अनुमति एवं बिना कोई सूचना के अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रह रहे हैं।

अतः जिला न्यायालय स्थापना विदिशा के साथ-साथ तहसील न्यायालय गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई/लटेरी में पदस्थ सभी न्यायिक कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापना स्थल पर अपने घर पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई न्यायिक कर्मचारी अपने पदस्थापना स्थल पर/घर पर उपस्थित नहीं पाया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त निर्देश का पालन कराने में संबंधित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी पूर्णतः असफल रहे हैं।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(श्यामाचरण उपाध्याय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा, म0प्र0

प्रति,

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना विदिशा।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा।
3. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, विदिशा

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(श्यामाचरण उपाध्याय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा, म0प्र0

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0

//ज्ञापन//

क्रमांक– 9-8/विविध/2020 विदिशा दि. 12.04.2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला विदिशा

विषयः– न्यायालय भवन विदिशा एवं न्यायाधीशों के आवास को कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम सेनेटाईज्ड कराते हुये, न्यायाधीश एवं कर्मचारियों को मॉस्क, हैंड सैनेटाईजर एवं ग्लब्स उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल का ज्ञापन क्र0 आईडीएसपी/2020/391 दिनांक 08.04.2020 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में।

उपरोक्त विषयांगर्तत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा कार्यालय तथा जन स्थानों को कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु डिस्इनफेक्शन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों अनुसार निम्न कार्यवाही करने का आग्रह हैः––

01. जिला विदिशा में स्थित समस्त न्यायालय भवनों के उनके खुलने के आधा घंटा पूर्व एवं बंद होने के उपरांत पूर्ण रूप से सेनेटाईज्ड करेंगे। साथ ही न्यायालयों में कार्यरत् समस्त न्यायाधीशों और कर्मचारियों को कार्य स्थान पर संक्रमण से बचाव के लिये मॉस्क व ग्लब्स और प्रत्येक न्यायालय के दरवाजे पर हैंड सेनेटाईजर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

02. जिला विदिशा के समस्त न्यायालयों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिये हैवी ड्यूटी मॉस्क, ग्लब्ज एवं डिस्पोजेबल जूते उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

03. इसके अतिरिक्त समस्त न्यायाधीशगण के आवासीय कार्यालयों को भी आवश्यक रूप से प्रतिदिन सैनेटाईजेशन कराने की व्यवस्था करें।

(श्यामाचरण उपाध्याय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0.

पृष्ठां0क्र09-9 /विविध/2020 विदिशा दि. 12.04.2020

प्रतिलिपि–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ
02. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी,
03. मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा

04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

05. प्रशासनिक अधिकारी / सिस्टम ऑफीसर / सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय विदिशा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों को ई–मेल करें।

(श्यामाचरण उपाध्याय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0.